Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

LD Appeal Case No-179/2024

Md. Sirajul ....Appellant

Versus

Bibi Rasida Khatoon & Ors. ....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	22.04.2025	**आदेश** यह अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बनमनखी द्वारा BLDR Case No- 35/2023-24 में दिनांक-29.06.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गयी। LCR प्राप्त है। दिनांक-15.04.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। Petitioner का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि उभय पक्ष के बीच मौजा नौलखी, थाना-353, खाता-343, खेसरा-1643, रकवा-01डि0 400वर्ग कड़ी के जमीन का विवाद है। अपीलार्थी का कहना है कि प्रश्नगत जमीन भू-धारी मो0 कुद्दुस द्वारा वर्ष-2013 में ही दिनांक-02.05.2013 को stamp paper पर सड़क निर्माण हेतु दान में दे दिया था। एवं तदनुसार निबंधित केवाला संख्या-6979, दिनांक- 10.09.2015 द्वारा विपक्षी को बिक्री किया जाना Legal नहीं है। जबकि विपक्षी बीबी रसीदा खातुन का कहना है कि उनके द्वारा प्रश्नगत जमीन भू-धारी मो0 कुद्दुस से निबंधित केवला दस्तावेज संख्या-6979, दिनांक- 10.09.2015 से Purchase किया गया है। तथा यह कि जमीन क्रय करने के पश्चात् जमाबंदी करा कर भू-राजस्व का भुगतान किया जा रहा है तथा उनका आवासीय घर दरवाजा बना हुआ है। यह कि अपीलार्थी द्वारा स्थानीय सरपंच के प्रभाव में उनके प्रश्नगत जमीन पर सरकारी सड़क बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उभय पक्ष इस तथ्य को Admit करते हैं कि भू-धारी मो0 कुद्दुस द्वारा निबंधित केवाला संख्या-6979, दिनांक- 10.09.2015 के द्वारा बीबी रसीदा खातुन को प्रश्नगत जमीन विक्रय किया गया। अपीलार्थी का यह दावा है कि प्रश्नगत जमीन वर्ष-2013 में ही भू-धारी मो0 कुद्दुस द्वारा सड़क निर्माण हेतु दान में दे दिया गया था। किन्तु उनके द्वारा अपने दावे को Prove करने हेतु निबंधित दान पत्र उपस्थापित नहीं किया गया है। इस प्रकार विपक्षी की ओर से अपने दावा/Claim के समर्थन में संगत Admissible evidence प्रस्तुत नहीं किया गया है।	

	22.04.2025	निम्न न्यायालय (भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बनमनखी) के स्तर से Issue in question के संदर्भ में संगत तथ्यों की विवेचना करते हुए यथोचित Findings के आधार पर आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप अथवा संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अतः इस अपील वाद को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को भेजें। Pramod K. 22/4/25. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। लेखापित एवं शुद्धित। Pramod K. 22/4/25. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया	

ज्ञापांक 2123 दिनांक 22/4/25

प्रतिलिपिः–भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बनमनखी, पूर्णिया को उनके पत्रांक–950, दिनांक–09.10.2024 द्वारा प्राप्त मूल अभिलेख वापस करते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/04/25

प्रभारी विधि प्रशाखा,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया